फतेहदीप सिंह से पहले, जे.

प्रोफेसर केशव मल्होत्रा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्वयालय और प्रतिवादी

2020 का सीडब्ल्यूपी No.22229

23 मार्च, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-रिट याचिका-पंजाब विश्वविद्वयालय अधिनियम, 1947-पंजाब विश्वविद्वयालय कैलेंडर खंड I, अध्याय II बी-विनियमन 12.2-सीनेट चुनाव 2020 को रद्द करना जब प्रक्रिया शुरू हो गई थी-चुनौती-याचिका कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थायी वकील की चुनाव स्थगित करने की सलाह एक प्रेरित कारण के लिए पक्षपातपूर्ण थी-और सिंडिकेट/सीनेट की मंजूरी के बिना चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना कुलपति की शक्तियों से परे था-प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं के अधिस्थिति की याचिका पर याचिका का विरोध किया क्योंकि उनका सीनेट का कार्यकाल समाप्त हो गया था, और कोविड-19 महामारी के दौरान चुनाव कराने में प्रशासन की अनिच्छा के कारण-आयोजित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनियमन 12.2 कुलपतियों को अधिस्थिति देता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के तहत विनियमन 12.2 अध्याय 2 (बी) Vol.I के तहत कुलपति को कुछ समय के लिए चुनाव स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रतिवादी संख्या 2 को इन शक्तियों के प्रयोग को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए बेलगाम शक्तियों के साथ नहीं पहनता है, जब पूरे देश में विभिन्न संस्थानों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, यह प्रचुर मात्रा में दर्शाता है कि यह अधिनियम द्वेष और उद्देश्य से भरा हुआ है।इसके अलावा, अदालत को जो बात आश्चर्यचकित करती है वह यह है कि प्रतिवादी 674 हैं।

इस अवैध अभ्यास को अनिश्चित काल तक जारी रखना, केवल प्रतिवादी प्रशासन के स्थायी वकील से प्राप्त सलाह पर, ऐसे मामले हैं जो न्यायालय के मन में संदेह पैदा करते हैं कि प्रतिवादी के कार्य और आचरण के साथ सब कुछ ठीक नहीं था।जब तक नई शिक्षा नीति की परिकल्पना की जा रही है और प्रतिवादी की प्रस्तुतियों का मुख्य आधार लागू नहीं किया जाता है, जिसके 2035 तक पेश किए जाने की संभावना है, तब तक न्यायालय के लिए यह कहना बहुत बेतुका होगा कि तब तक अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिवादी को नियंत्रित करने वाले विनियमों को ठंडे बस्ते में डालना होगा।

(पैरा 8) ने आगे कहा कि वर्तमान सीनेट का कार्यकाल आईडी2 से आईडी3 तक प्रभावी था और याचिका आईडी4 पर दायर की गई है, जबकि सिंडिकेट का कार्यकाल आईडी1 पर समाप्त हो गया है, ऐसे मामले हैं जो अदालत से आगे आग्रह करते हैं कि प्रतिवादी

विश्वविद्वयालय के उचित संचालन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके गठन का उद्देश्य ही खतरे में न पड़े, चुनाव प्रक्रिया को जल्द से जल्द आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि यह विश्वविद्वयालय में निरंकुश शासन को इसके लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित न करे जो इस देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्वयालय में से एक होने के नाते इसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वीकार किया जा सकता है।

(पैरा 9) ने आगे कहा कि, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, समय-समय पर चुनाव आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है जो बदले में लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाता है और इस प्रकार निर्णय लेने में एक बहुत ही आवश्यक कार्य है।इसके अलावा यह जवाबदेही और सचेत स्तर को बढ़ाने की ओर ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी संस्थान का बेहतर और कुशल संचालन/शासन होता विश्वविद्वयालय में चुनाव का उद्देश्य अधिनियम और विश्वविद्वयालय के विनियमों की योजना को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्वयालय का मुख्य प्रशासन सीनेट के पास निहित है जो इसके प्रत्येक कार्य की देखभाल करता है और किसी भी प्रामाणिक, कानूनी रूप से वैध कारणों की अनुपस्थिति में में, प्रतिवादी विश्वविद्वयालय के ऐसे आदेश, जैसा कि (अनुलग्नक पी-10, पी-16, पी-19 और पी-20) में समय के प्रवाह और स्थिति को आसान बनाने के साथ उजागर किया गया है, अनिश्चित काल के लिए सीनेट के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, समान दुर्भावनापूर्ण, मनमौजी और अधिनियम और प्रतिवादी विश्वविद्वयालय को नियंत्रित करने वाले विनियमों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी का यह कार्य और इसलिए,

असंवैधानिक होने के कारण इसे रद्द कर दिया जाता है।प्रतिवादी संख्या 2 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चुनावी प्रक्रिया, जिसे शुरू किया गया है, दो महीने के भीतर हर तरह से पूरी की जाए। प्रो. केशव मल्होत्रा और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय

675

और अन्य (फतेहदीप सिंह, जे.)

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख।याचिका का निपटारा तदनुसार अनुमति के अनुसार किया जाता है।

(पैरा 10)

आर. एस. चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता

आर. कार्तिकेय, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

सत्यपाल जैन, अधिवक्ता गोविंद गोयल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

पीयूष बंसल और सुभाष आहूजा, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील।

साहिल शर्मा, डा। प्रतिवादी नं. 3 के लिए पंजाब के महाधिवक्ता।

पंकज जैन, जयवीर चंदैल के साथ वरिष्ठ स्थायी वकील, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 4-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए।

फतेह दीप सिंह, जे।

“शराब सबसे मजबूत सिर के रूप में, शक्ति सबसे अच्छे दिलों को नशे में डाल देगी।कोई भी व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं है, न ही इतना अच्छा है कि उस पर भरोसा किया जा सके।

असीमित शक्ति।” कोल्टन (1) पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के अधिनियमकों ने यह महसूस नहीं किया होगा कि उन्होंने जो एक व्यापक और व्यापक कानून के रूप में तैयार किया है, वह अपने स्वयं के विद्वया सम्बन्धी अधिकारी के हाथों में एक उपकरण बन जाएगा जो शैक्षिक लक्ष्यों का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा कर रहा है और इस तरह इस प्रक्रिया में इस अगस्त संस्थान के प्रबंधन और अधीक्षण की देखभाल करने वाले अपने स्वयं के शासी निकाय को वस्तुतः हटा देगा जो कभी इस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि और सबसे पुराने संस्थान थे।शक्तियों का ऐसा बेलगाम प्रयोग है कि अधिनियम की खंड 33 के तहत सरकार की शक्ति भी उन्हें रोक नहीं सकी या इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा, और अधिनियम की खंड 11 (2) और 31 (2) (सी) के तहत प्रदान की गई विशेष बैठकों का क्या प्रभाव पड़ा जो सीनेट के अपेक्षित सदस्यों को बैठक की मांग करने का अधिकार देता है।इस प्रकार वर्तमान याचिकाकर्ताओं, जो प्रतिवादी संख्या 1 विश्वविद्यालय के सीनेटर हैं, को तत्काल रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि सीनेट

विश्वविद्वयालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है और खंड 676 के संदर्भ में अपने मामलों का प्रबंधन करता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

8 अधिनियम की खंड 11 के साथ-साथ अधिनियम की खंड 31 के अनुरूप विनियम बनाने की इसकी शक्तियों के साथ पढ़ें। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने सीनेट की इन शक्तियों को हड़पने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के कुलपति होने के नाते एक रास्ता चुना है और इस योजना में आदेश (अनुलग्नक पी 10) पारित करने में कामयाब रहा है, जिससे सीनेट चुनाव 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो अगस्त 2020 से प्रभावी होने वाला था क्योंकि 91 सदस्यीय सीनेट का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होना था।आरोप इस प्रभाव के हैं कि यह राजनीतिक रूप से समर्थित समूह के प्रभाव में था कि यह हेरफेर तब हुआ जब चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और पंजाब विश्वविद्वयालय कैलेंडर के विनियमन 12.2, अध्याय II बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश अनुलग्नक पी-16, पी-19 और पी-20 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्थगन अवैध और अत्यधिक अनावश्यक था।याचिकाकर्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और स्थायी वकील की सलाह को एक प्रेरित कारण के लिए पक्षपाती बताया है, और इस प्रकार सिंडीकेट/सीनेट की मंजूरी के बिना चुनाव को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की प्रतिवादी संख्या 2 की शक्तियों पर सवाल उठाया है क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 2 की शक्तियों से बाहर है।

(2) अपनी-अपनी प्रतिक्रियाओं में प्रतिवादी का परिणामी रुख पूर्ण इनकार का है, सीनेट का कार्यकाल समाप्त हो गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं का इसे चुनौती देने का अधिकार विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के रुख से समर्थन लिया जाता है और वर्तमान कोविड-19 महामारी इस स्थगन के लिए जिम्मेदार है और इसलिए इन चुनावों को सुविधाजनक बनाने में प्रशासन की अनिच्छा जो आसपास के राज्यों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मतदाता थे।

(3) पक्षों की ओर द्वारा विद्वान अधिवक्ता सुनी और उन्हें अभिलेखों को विस्तार द्वारा देखने का अवसर मिला।

(4) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता श्री आर. कार्तिकेय की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. चीमा ने एक-दूसरे के साथ प्रतिवादी की मिलीभगत और चुनावों की सम्यक प्रक्रिया को बाधित करने में उनके अवैध आचरण पर तीखा हमला किया था, जो पहले ही पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ-साथ पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया था।विद्ववान वकील ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि यह प्रतिवादी नंबर 2 था जिसने चुनावी प्रक्रिया शुरू की थी और उसके बाद इसे स्थगित कर दिया था और राजनीतिक हस्तक्षेप पर इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था।यह आग्रह किया गया कि यह और कुछ नहीं बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विश्वविद्यालय के पवित्र लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय की शक्तियों को हड़पने के लिए एक उपकरण था, जो प्रोफेसर केशव मल्होत्रा और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय के दावे पर आधारित था।

कि अधिनियम और विनियमों के तहत, विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट की अनुपस्थिति में में कानूनी रूप से कार्य नहीं कर सकता है और यहां तक कि इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि नई शिक्षा नीति की शुरुआत और कार्यान्वयन के बिना, प्रतिवादी अपने दायित्वों से बचने की कोशिश कर रहे हैं।इस याचिका के तहत वकील ने अनुरोध किया था कि जब देश भर में विभिन्न विधायी निकायों के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही हो तो कोई अनिश्चितकालीन स्थगन नहीं हो सकता है और यह याचिकाकर्ताओं को बाहर रखने और सीनेटरों को विश्वविद्यालय अधिनियम और विनियमों के तहत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से मजबूर करने के लिए एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है।

(5) श्री सत्यपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री गोविंद गोयल, प्रतिवादी No.1/University का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता; श्री पीयूष बंसल और श्री सुभाष आहूजा, प्रतिवादी No.2/the कुलपति के अधिवक्ता; श्री साहिल शर्मा, डिप्टी। प्रतिवादी नंबर 4-केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से पेश अधिवक्ता श्री जयवीर चंदेल की सहायता से पंजाब के महाधिवक्ता और वरिष्ठ स्थायी वकील श्री पंकज जैन ने अपनी दलीलों में याचिकाकर्ताओं के आचरण पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि सीनेट के 90 सदस्यों में से केवल सात ही इस अदालत के समक्ष आए हैं, जो अपने आप में संकेत है कि अधिकांश सदस्य चुनावी प्रक्रिया के स्थगित होने से खुश हैं।यह रेखांकित किया जाता है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से कई मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और मौजूदा

महामारी के कारण चुनाव कराने में इस प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं है।विद्वान वकीलों ने यह दावा करने की कोशिश की है कि इनमें से किसी भी राज्य, जिसमें मतदाताओं की महत्वपूर्ण संख्या है, ने विश्वविद्वयालय के पत्रों का जवाब नहीं दिया है क्योंकि महामारी के बड़े पैमाने पर प्रसार के कारण उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरे के बारे में उनकी वैध आशंका है।वकील ने यह प्रस्तावित करने की मांग की है कि अधिनियम की धारा 8 और 13 के प्रावधानों के तहत, सीनेट अभी भी जारी है और हालांकि सिंडिकेट का परमादेश समाप्त हो गया है, उनकी दलीलों का समर्थन करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने की असंभवता के मामले में कोई रिट झूठ नहीं है और आगे किसी भी ठोस/स्पष्ट याचिका की अनुपस्थिति में में कि प्रतिवादी पर डाला गया कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं किया गया है, तो केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में एक अनिवार्य रिट निहित है।

(6) दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन संबंधित प्रस्तुतियों की सराहना करने पर, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि वर्तमान रिट सीनेट के लिए चुनाव आयोजित करने में सुविधा नहीं देने में प्रतिवादी के कार्य से संबंधित है और कौन सी प्रक्रिया 678 में निर्धारित की गई थी

प्रस्ताव और उसके बाद बिना किसी ठोस और वैध कारण के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्वयालय उस अधिनियम द्वारा शासित है जिसमें कानून की शक्ति है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत इस न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के आधार पर, प्रतिवादी को अपने कानूनी कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए मजबूर करने के लिए एक रिट जारी की जा सकती है और जिसका याचिकाकर्ताओं के कानूनी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो विश्वविद्यालय कैलेंडर सहित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के आधार पर उनमें निहित हैं।इससे भी अधिक, यह सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन से संबंधित है और जिसके लिए याचिकाकर्ताओं और यहां तक कि सीनेट, सिंडिकेट के प्रत्येक सदस्य को विश्वविद्यालय से संबंधित इन प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के दावे के मामले में चुनौती देने का अधिकार है।विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अनुपातों पर भरोसा किया गया

प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात शरद कुमार सिंह बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1 और डॉ. राय शिवेंद्र बहादुर बनाम राज्य का शासी निकाय

नालंदा कॉलेज 2 के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 2 यानी जॉयती बसु

बनाम देवी घोषाल 3; शिवेंद्र बहादुर बनाम नालंदा कॉलेज का शासी निकाय 4; भारत का चुनाव आयोग बनाम यू. ओ. आई. 5; चिराग मल्ली बनाम पंजाब विश्वविद्यालय सीडब्ल्यूपी-16962-2020

04.11.2020 (DB) पर निर्णय लिया गया; अनिरुद्ध शर्मा बनाम पंजाब विश्वविद्यालय CWP-18993-2020 ने 10.11.2020 (DB) पर निर्णय लिया; शालिनी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय CWP-17415-2020 ने 23.11.2020 पर निर्णय लिया

(डीबी); और पुरुषोत्तम कुमार झा बनाम झारखंड राज्य 6 हैं

वास्तव में याचिकाकर्ताओं के मामले में बहुत भिन्नता और अप्रयोज्य होने पर और न ही प्रतिवादी इसका कोई लाभ उठा सकते हैं।इसके अलावा, चुनाव आयोग से संबंधित उद्धरण लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 के तहत आते हैं, जिसमें उचित प्रक्रिया और उपचार इस न्यायालय के समक्ष मामले से काफी अलग प्रदान किए गए हैं।

(7) अधिनियम पर बारीकी से गौर करने से यह सुनिश्चित होता है कि विश्वविद्यालय के कामकाज के संचालन को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने यह प्रावधान किया है कि यह स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर के साथ एक निगमित निकाय है और इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान करना था।

2 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1210

3 ए. आई. आर 1982 एस. सी 983

4 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1210

5 1995 (3) एस. सी. सी. 643

6 एयर 2006 एससी 3655 प्रोफेसर केशव मल्होत्रा और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय

शैक्षणिक संस्थान जो इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं।अधिनियम की खंड 8 के तहत, पूरी योजना से पता चलता है कि विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकार सीनेट में निहित है जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, पदेन अध्येता और साधारण अध्येता शामिल

हैं।खंड 10 (4) के तहत, कुलपति विश्वविद्वयालय का प्रधान कार्यकारी और विद्या सम्बन्धी अधिकारी होता है और उसे सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करना होता है।

विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार अपने मामलों पर

और उनकी अभाव में कुलाधिपति को विश्वविद्वयालय के अध्येताओं में से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या विश्वविद्वयालय के व्यवसाय के निपटारे के लिए ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान किया गया है।आगे खंड 11 सीनेट की संरचना की गणना करती है।अधिनियम की खंड 20 सिंडिकेट से संबंधित है जो विश्वविद्वयालय की कार्यकारी सरकार मानी जाती है और इसमें कुलाधिपति, लोक शिक्षा निदेशक, पंजाब और लोक शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ के अलावा संकायों द्वारा चुने गए पदेन या सामान्य अध्येता शामिल हैं और आगे यह शक्तियों और सिंडिकेट की भूमिका की गणना करता है।अधिनियम के अध्याय II (ए) (ii) में अधिनियम की धारा 20 और 31 (2) (सी) के तहत बनाए गए विनियमों की गणना की गई है, जिसमें सिंडिक्स और पदेन या साधारण अध्येताओं के चुनाव के तरीके का विवरण दिया गया है।ये प्रावधान इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि एक नया सिंडिकेट प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के बाद नहीं चुना जाएगा और इसका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होगा और तात्कालिकता की स्थिति में कुलपति से इस मामले को मंजूरी के लिए सिंडिकेट की बैठक में भेजने की अपेक्षा की जाती है।हालांकि, निराशा के साथ, इस न्यायालय ने कहा है कि इन सभी प्रावधानों को हवा में फेंक दिया गया है और जो गणना की गई है वह यह है कि विश्वविद्वयालय को एक व्यक्ति के रूप में चलाया जा रहा है जो इस बात से अनजान है कि एक विश्वविद्वयालय सिंडिकेट और सीनेट की अनुपस्थिति में में इसे नियंत्रित करने वाले

इन प्रावधानों के अनुसार कैसे काम कर सकता है और इसलिए, उत्तरदाताओं के वकीलों की प्रस्तुतियों का पर्याप्त रूप से विरोध करता है कि आज तक इनमें से कोई भी निकाय जारी नहीं है और कौन सा तर्क अपने आप में अधिनियम की धारा 8 और 13 में निहित तर्क के विपरीत है। एक 'निकाय निगमित' अपने शब्दकोश के अर्थ से स्वयं एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में सुझाव देता है जो स्थायी उत्तराधिकार में कुछ अधिकारों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया है जो यदि प्राकृतिक व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं तो समय की प्रक्रिया में विफल हो जाएंगे और इसलिए एक अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून के निर्माता के रूप में कानून के चिंतन में मौजूद हैं और इसलिए इसका अस्तित्व समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(8) विश्वविद्वयालय के कुलाधिपति द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के कार्य के लिए किसी भी ठोस सहमति के बारे में इस न्यायालय के विशिष्ट प्रश्न के लिए, जो इसके निगमित होने के संस्थान का प्रमुख है और 680

प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य से ऊपर, और जब अधिनियम की खंड 38 के तहत किसी भी विवाद के मामले में मामला कुलाधिपति को भेजा जाना चाहिए, तो वकील स्पष्ट रूप से शब्दों के अभाव में था।यह आधार कि 90 सीनेटरों में से केवल 7 इस न्यायालय के समक्ष आए हैं, कोई आधार नहीं है और अधिनियम और विनियमों के किसी भी उल्लंघन को रिट याचिका में चुनौती दी जा सकती है, यहां तक कि पीड़ित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों में से एक द्वारा भी और इसे सीनेटरों के पूरे समूह के

रूप में तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक एकल सीनेटर पूरे निकाय की ओर से कार्य कर सकता है।प्रत्यर्थियों के वकील का दावा जहां संलग्नक आर 1/3 के संलग्नक आर 1/1 पर भरोसा रखने की मांग की गई है कि कुछ निवर्तमान सीनेटरों ने स्थगन की मांग की है, अदालत को ज्यादा प्रभावित नहीं करता है।संलग्नक आर 1/4 के आधार पर प्रतिवादी का यह दावा कि कई राज्यों में फैली विशाल चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 इस तरह की प्रक्रिया की अनुमति नहीं देता है, स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दायित्वों को कम करने का एक तरीका है, जबकि देश के एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट है कि पूरे देश में विधानसभाओं और स्थानीय निकायों आदि सहित विभिन्न निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, प्रतिवादी के लिए अच्छा संकेत नहीं है।इसके अलावा, यह बहाना कि नई शिक्षा नीति पर विचार किया जा रहा है और प्रतिवादी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्यपाल जैन द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि नई शिक्षा नीति 2035 तक लागू होने की संभावना है, अदालत के लिए इस तरह के रुख का संज्ञान लेना बहुत दूर की बात है।अनुलग्नक पी-8, पी-10 और पी-19 के माध्यम से उजागर किए जाने वाले स्थगन का कारण वर्तमान परिदृश्य में अच्छा नहीं रहा है और इस तरह के कमजोर तर्क से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है।इस न्यायालय के दिमाग में एक सवाल आता है कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से खंड 31 वार्षिक खातों और लेखा परीक्षा की तैयारी और रखरखाव के साथ-साथ अधिनियम और उपनियमों के प्रावधानों के प्रबंधन/रद्द करने/परिवर्तन से निपटने के अलावा चुनाव, बैठकें, नियुक्तियां आदि आयोजित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में

विनियमों का प्रावधान करती है।यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विश्वविद्वयालय का यह निकाय जिसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।इसके अलावा, अधिनियम के अध्याय II (ए) (iii) के तहत, विश्वविद्यालय के वित्त बोर्ड की संरचना में सिंडिकेट के दो सदस्यों के अलावा, सीनेट द्वारा चुने गए दो सदस्य हैं और कौन सा बोर्ड विश्वविद्यालय के बजट सहित मामलों के पूरे वित्तीय संचालन की देखभाल करेगा।सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि सीनेट चुनावों के अनुसूची को अधिसूचित किया गया था, जैसा कि दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है, बहुत पहले नवंबर 2019 में और महामारी में ढील देने के बाद यह प्रो. केशव मल्होत्रा और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्वयालय था।

इन चुनावों के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 का बाध्य कर्तव्य।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम के तहत विनियमन 12.2 अध्याय 2 (बी) <आई. डी. 1 के तहत कुलपति को समय पर होने वाले चुनावों को स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रतिवादी संख्या 2 को इन शक्तियों के प्रयोग को अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए बेलगाम शक्तियों के साथ नहीं पहनता है, जब पूरे देश में विभिन्न संस्थानों के लिए चुनाव हो रहे होते हैं, तो यह प्रचुर मात्रा में दर्शाता है कि यह अधिनियम द्वेष और उद्देश्य से भरा हुआ है।इसके अलावा, अदालत को जो आश्चर्य होता है वह यह है कि प्रतिवादी इस अवैध अभ्यास को अनिश्चित काल तक जारी रख रहे हैं, केवल प्रतिवादी प्रशासन के स्थायी वकील से प्राप्त सलाह पर, ऐसे मामले हैं जो

अदालत के मन में संदेह पैदा करते हैं कि प्रतिवादी के कार्य और आचरण के साथ सब कुछ ठीक नहीं था।जब तक नई शिक्षा नीति की परिकल्पना की जा रही है और प्रतिवादी की प्रस्तुतियों का मुख्य आधार लागू नहीं किया जाता है, जिसके 2035 तक पेश किए जाने की संभावना है, तब तक न्यायालय के लिए यह कहना बहुत बेतुका होगा कि तब तक अधिनियम के प्रावधानों और प्रतिवादी को नियंत्रित करने वाले विनियमों को ठंडे बस्ते में डालना होगा।

(9) वर्तमान सीनेट का कार्यकाल आईडी2 से आईडी3 तक प्रभावी था और याचिका आईडी4 पर दायर की गई है, जबकि सिंडिकेट का कार्यकाल आईडी1 पर समाप्त हो गया है, ऐसे मामले हैं जो अदालत से आगे अनुरोध करते हैं कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय के उचित संचालन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके गठन का उद्देश्य ही खतरे में न पड़े, चुनाव प्रक्रिया को जल्द से जल्द आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि यह विश्वविद्यालय में निरंकुश शासन को इसके लोकतांत्रिक कामकाज को प्रभावित न करे जो इस देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक होने के नाते इसकी प्रतिष्ठा पर एक दाग हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है।

(10) एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, चुनाव समय-समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है जो बदले में लोकतांत्रिक शासन की ओर ले जाता है और इस प्रकार निर्णय लेने में एक बहुत ही आवश्यक कार्य है।इसके अलावा यह जवाबदेही और सचेत स्तर को बढ़ाने की ओर ले जाता है जिसके परिणामस्वरूप किसी संस्थान का बेहतर और कुशल संचालन/शासन होता विश्वविद्यालय में चुनावों का उद्देश्य

अधिनियम की योजना और विश्वविद्यालय के विनियमों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्वयालय का मुख्य प्रशासन सीनेट के पास निहित है जो इसके प्रत्येक कार्य को देखता है और किसी भी प्रामाणिक, कानूनी रूप से वैध कारणों की अनुपस्थिति में में, प्रतिवादी विश्वविद्वयालय के ऐसे आदेश जैसे कि (अनुलग्नक पी-10, पी-16, पी-19 और पी-20) में समय के प्रवाह और स्थिति को आसान बनाने के साथ उजागर किए गए हैं, अनिश्चित काल के लिए सीनेट के लिए चुनाव आयोजित नहीं कर सकते हैं और इसलिए, 682 पारित करने में प्रतिवादी का यह कार्य

दुर्भावनापूर्ण, मनमौजी और प्रतिवादी विश्वविद्वयालय को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और विनियमों का पूर्ण उल्लंघन और इसलिए असंवैधानिक होने के कारण इन्हें एतद्द्वारा पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है।प्रतिवादी संख्या 2 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर चुनावी प्रक्रिया को हर तरह से पूरा किया जाए।याचिका का निपटारा तदनुसार अनुमति के अनुसार किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उघेश्यो के लिए निर्णय का

अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

हस्ताक्षर:- 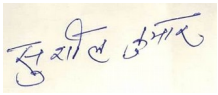

अनुवादक:- सुशील कुमार